



न्यायालय माननाय राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यप्रदेश
प्र. क्र. /2016 निगरानी लिग - 2010-II 16

- (1) राजेश कुमार पुत्र अतल सिंह, कटारिया
- (2) वचन सिंह पुत्र मेहताब सिंह कटारिया
- (3) राममूर्तिबाई पत्नि शीलचंद कटारिया
निवासीगण ग्राम भैंसोनकला परगना मुंगावली
जिला अशोकनगर म0प्र0।

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

- (1) श्यामबाई बेवा ज्ञान सिंह कटारिया
- (2) गौतम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह कटारिया
- (3) ललिताबाई पुत्री ज्ञान सिंह कटारिया
- (4) मुन्नीबाई पुत्री ज्ञान सिंह कटारिया
- (5) रामरूपबाई पुत्री ज्ञान सिंह कटारिया
- (6) फूल सिंह नत्थू सिंह कटारिया
- (7) परसादीबाई पुत्री नत्थू सिंह कटारिया
निवासीगण ग्राम भैंसोन कला परगना मुंगावली
जिला अशोकनगर म0प्र0।

..... असल प्रतिनिगरानीकर्तागण

- (8) धनबाई पुत्री उमराव सिंह कटारिया
- (9) अमानबाई पुत्री देवी सिंह कटारिया
- (10) तेजाबाई पुत्री देवी सिंह कटारिया
- (11) फूलाबाई पुत्री देवी सिंह कटारिया
- (12) गोपीबाई पुत्री देवी सिंह कटारिया

..... तरतीवी प्रतिनिगरानीकर्तागण

//निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 न्यायालय
श्रीमान् ए.के.जैन नायब तहसीलदार महोदय मुंगावली के प्र. क्रं.
7ए6ए/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 से परिवेदित व
दुःखित होकर।//

माननीय महोदय,

सेवा मे सादर निगरानी निगरानीकर्तागण की ओर निम्न
प्रकार प्रस्तुत है -

संक्षिप्त विवरण :-

यह कि ग्राम भैंसोन कला परगना मुंगावली जिला अशोकनगर स्थित भूमि
सर्वे क्रं. 30, 44, 65, 77, 116, 0128, 155, 189, 192 रकवा क्रमशः 3.50 हे.

.....2.....

शोभराज कृष्ण वचन सिंह

राममूर्तिबाई

श्री सुनील सिंह जादीव (स)
बनाम वचन सिंह 23-6-16 को
प्रस्तुत
23-6-16
जस्टिस ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. न्यायालय

श्रीमान् ए.के.जैन
नायब तहसीलदार
मुंगावली
23-6-16

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-2010-दो/2016

जिला-अशोकनगर

राजेश आदि विरुद्ध श्यामबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार मुंगावली, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 7/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16-05-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

(जे0के0 जैन)
सदस्य